613

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-14/06/3/एक भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:— बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत।

संदर्भ:— सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए 10-18/88/49/एक दिनांक 2.12.88 ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3 एक दिनांक 12.12.94 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/एक दिनांक 5 जून, 1995.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजायी आदेश जारी किये जाते हैं :—

(एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी के मंगाना चाहिए।

(दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराऐं।

(तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरांत चयनित लोक सेवक की सेवाऐं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए।

(चार) विभाग लोक सेवक की सेवाऐं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाऐं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाऐ सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए। आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाऐं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें। पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाऐ।

(पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाऐं वापस की जा सकेंगी।

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक दिनांक 12-12-1994 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस

विभाग से सेवाऐं ली गई है उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाऐं अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे ।

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शीय सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये ।

4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होगें ।

5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत संस्थाओं के लिए भी लागू होगी ।

हस्ता/-
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 1-03-2008

क्रमांक-387/681/2008/दो-ए(3)

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषयः— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को धुलाई भत्ता ।

संदर्भः— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2003/दो-ए (3), दिनांक 31 जुलाई, 2004

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि रुपये 30/- (तीस रुपये) के स्थान पर रुपये 50/- (पचास रुपये केवल) प्रतिमाह भुगतान की जाय । यह भुगतान इस शर्त के साथ किये जावे कि समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय में नियमित रूप से वर्दी पहन कर आवें ।

2. इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित विभाग के बजट प्रावधान से की जावेगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ क्रमांक 397/08/नियम/चार/दिनांक 1-3-2008 द्वारा सहमति से प्राप्त कर जारी किये गये है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(दशरथ कुमार)
अवर सचिव
मप्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग